

“Provided that such review shall be completed at least three months prior to expiry of the duty under review.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published *vide* notification number 1/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 2(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 10/2020-Customs (N.T), dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 74(E), dated the 2nd February, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 12/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

**सा.का.नि. 77(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में, “सुरक्षा शुल्क” शब्द के स्थान पर “सुरक्षा उपाय” शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 2 में –

(क) खंड (ख) में, शब्द “शुल्क” शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (घ) के उपखंड (i) में, “शुल्क” शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ग) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(च) “अनंतिम उपाय” से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित अनंतिम सुरक्षा उपाय अभिप्रेत है;’;

(घ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(चक) “सुरक्षा उपाय” से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क, या कोई टैरिफ दर कोटा या ऐसे अन्य उपाय, अभिप्रेत है;’;

(ड.) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(छक) “डब्ल्यूटीओ” से विश्व व्यापार संगठन अभिप्रेत है;’;

4. उक्त नियम के, नियम 3 में, दोनों स्थानों पर आने वाले “सुरक्षा” शब्द के स्थान पर “व्यापार उपचार” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 4 में-

(क) खंड (2) में, “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (4) में:-

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपखंड (ii) में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (5) में “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 5 में,-

(i) उपनियम (2) में खंड (ख) में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उक्त नियम (4) में “सीमा शुल्क आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “यथास्थित प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 6 में, उपनियम (1) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) निर्यातक देशों, अंतर्वर्तित वस्तु और आयात की मात्रा के नाम;”।

8. उक्त नियम में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“8 गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का विनिर्धारण -महानिदेशक घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का विनिर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात्:-

(i) अन्वेषण में यह अवधारित करने के लिए कि वर्धित आयात में किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है, महानिदेशक उस उद्योग की अवस्थिति पर उसके आचरण की प्रकृति के लिए उद्देश्य और अनुमान्य सभी सुसंगत कारकों का मूल्यांकन करेगा, विशिष्ट तथा संबद्ध वस्तु के आयात में आत्यांतिक या आपेक्षिक रूप में वृद्धि की दर और रकम, वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के शेयर, विक्रय, उत्पादन, उत्पादकता, उपयोग क्षमता, लाभ और हानि तथा नियोजन के स्तर में परिवर्तन ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अन्वेषण वस्तुविष्ट साक्ष्य के आधार पर संबद्ध वस्तु के वर्धित आयात और गंभीर क्षति या उसकी आशंका के बीच आकस्मिक संबद्धता विद्यमान होने का प्रदर्शन नहीं करता है। जब घरेलू उद्योग को उसी समय वर्धित आयात से भिन्न कारक क्षति कारित कर रहे हों, तब ऐसी क्षति वर्धित आयात से होनी नहीं मानी जाएगी। ऐसी दशाओं में महानिदेशक ऐसी शिकायत को प्रतिपादन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए यथा-समुचित प्राधिकारों को निर्देशित कर सकेगा।”।

9. उक्त नियम में, नियम 10 में,-

(i) “शुल्क” शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ii) “उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (5)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

10. उक्त नियम में, नियम 11 में,-

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्न उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) (क) महानिदेशक उपाय की सीमा से संबंधित सिफारिश भी करेगा जो, यदि उद्धृति की गई है, गंभीर क्षति का निवारण करने या उपचार करने के लिए और समायोजन को सुकर बनाने के लिए समुचित होगा;

(ख) टैरिफ दर कोटे का स्तर, यदि उपाय के रूप में अधिरोपित किया जाता है, निम्न शर्तों के अध्यक्षीन निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्रतिनिधिक अवधि के परे वस्तु के पारंपरिक व्यापार प्रवाह को बनाए रखना;

(ii) देश में विद्यमान और संभावी मांग आपूर्ति के परिदृश्य; और

(iii) अन्य कोई शर्त जिसे सुसंगत माना जाए;

परंतु लागू टैरिफ दर कोटा आयात की मात्रा को वर्तमान अवधि के उस स्तर से कम नहीं करेगा जो पिछले तीन वर्षों के आयात, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, का औसत होगा जब तक कि गंभीर क्षति के निवारण करने या उपचार करने के लिए भिन्न स्तर आवश्यक न हो;

(ग) टैरिफ दर कोटा वैश्विक या देशीय विनिर्दिष्ट हो सकेगा ;

(घ) विनिर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा देशों को प्रतिनिधि अवधि के दौरान देश में संबंधित वस्तु के आयात के भाग के अनुपात पर विचार करते हुए सारभूत हित के साथ और ऐसे सभी सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए जो उस वस्तु में किए गए व्यापार को प्रभावित कर सके या ऐसी संभाव्यता हो, आबंटित किया जा सकेगा;

(ड.) ऐसे मामले में जहां टैरिफ दर कोटा किसी देश के लिए विनिर्दिष्ट हो, वहां अन्य सभी देशों के लिए अवशिष्ट टैरिफ दर कोटा उपबंधित किया जाएगा और यदि विनिर्दिष्ट टैरिफ कोटे वाले देश अपने विनिर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा का पूर्ण उपयोग कर लेते हैं, तो वे देश उपलब्ध अवशिष्ट टैरिफ दर कोटे का उपयोग कर सकेंगे ;

(च) किसी अप्रयुक्त टैरिफ दर कोटा को आगे बढ़ाया जा सकेगा और पश्चातवर्ती अवधि के लिए टैरिफ दर कोटे में जोड़ा जा सकता है।”;

(ii) उपधारा (3) में,-

(क) “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा

(ख) परंतुक में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियम के , नियम 12 में, “शुल्क” जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

12. उक्त नियम के नियम 13 में, -

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

(ii) एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु ऐसा कोई भी उपाय किसी भी ऐसी वस्तु, जिसकी उत्पत्ति किसी विकासशील देश में हुई है, पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस देश की वस्तुओं के आयात का अंश तीन प्रतिशत से अधिक न हो या जहां वह वस्तु एक से अधिक विकासशील देशों में उत्पन्न हो रही हो, तो जब तक कि ऐसे प्रत्येक विकासशील देशों से जिनसे आयात का अंश तीन प्रतिशत से कम है, उनसे कुल आयात भारत में उस वस्तु के कुल आयात के 9 प्रतिशत से अधिक न हो।”।

13. उक्त नियम के, नियम 14 में, “शुल्क” जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द पढ़ा जाएगा।

14. उक्त नियम के, नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“15. शुल्क का प्रतिदाय- यदि अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् शुल्क के रूप में अधिरोपित सुराक्षोपाय, पहले से अधिरोपित और संगृहीत शुल्क के रूप में अनंतिम उपाय से कम है, तो आयातक को उसके अंतर का प्रतिदाय किया जाएगा।

15. उक्त नियम के, नियम 16 में -

(i) “शुल्क” शब्द जहां वे आते हैं, के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (1) में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा।

16. उक्त नियम के, नियम 17 में, “शुल्क”, जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

17. उक्त नियम के, नियम 18 में, -

(i) “शुल्क”, जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (1) में, खंड (i) में, “निश्चित रूप से” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्न उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) महानिदेशक किसी भी उपांतरण के लिए टैरिफ दर कोटा के प्रयोग और क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन कर सकेगा।”;

(iv) उपनियम (2) में, “उपनियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “या उपनियम (1क)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियम में, नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“19. अधिसूचना और परामर्श-(1) केन्द्रीय सरकार, सुरक्षा उपाय पर डब्ल्यूटीओ करार के अधीन अपेक्षित सभी कार्रवाइयां डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित करेगी।

(2) सुरक्षा उपाय अधिरोपित किए जाने के पूर्व, डब्ल्यूटीओ के उन सदस्यों के साथ, जो संबंधित उत्पाद के निर्यातकों के रूप में सारभूत हित रखते हैं, परामर्श करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।”।

19. उक्त नियम में, उपाबंध का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 35/1997-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 29 जुलाई, 1997 को सा. का.नि. सं.428(अ), तारीख 29 जुलाई, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

#### No. 12/2021-Customs (NT)

**G.S.R. 77(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 2nd February, 2021.

2. In the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the word “Duty”, the word “Measures” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2,-

(a) in clause (b), for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted;

(b) in clause (d), in sub-clause (i), for the word “duty”, the word “measures” shall be substituted;

(c) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(f) “provisional measure” means provisional safeguard measure imposed under sub-section (5) of section 8B of the Act;’;

(d) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(fa) “safeguard measure” means safeguard duty, or a tariff rate quota or such other measures imposed under sub-section (1) of section 8B of the Act;’;

(e) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ga) “WTO” means the World Trade Organisation;’;

4. In the said rules, in rule 3, for the word “Safeguard” occurring at both the places, the words “Trade Remedies” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 4,-

(a) in clause (2), for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted;

(b) in clause (4),-

(i) for the word “duty” occurring at both the places, the word “measure” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), the word “positive” shall be omitted;

(c) in clause (5), for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 5,-

(i) in sub-rule (2), in clause (b), the word “positive” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4), for the words “Commissioner of Customs”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,” shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) the name of the exporting countries, article involved and volume of imports.”.

8. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely: -

**“8. Determination of serious injury or threat of serious injury.** The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account the following principles, namely: -

(i) in the investigation to determine whether increased imports have caused or threatening to cause serious injury to the domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment;

(ii) the determination referred to in clause (i) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports and in such cases, the Director General may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate.”.

9. In the said rules, in rule 10, -

(i) for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted;

(ii) for the words, brackets and figures “sub-section (2)”, the words, brackets and figures “sub-section (5)” shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 11, -

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) (a) The Director General shall also give recommendations regarding the extent of measure which, if levied, would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment;

(b) the level of tariff rate quota, if imposed as a measure, may be determined having regard to the following conditions, namely:-

(i) maintaining traditional trade flow of the article over the representative period;

(ii) the existing and likely demand supply scenario in the country; and

(iii) any other condition that may be considered relevant:

Provided that the tariff rate quota applied shall not reduce the quantity of imports below the level of the recent period, which shall be the average of imports in the last three years for which statistics are available, unless a different level is deemed necessary to prevent or remedy serious injury;

(c) tariff rate quota may be global or country specific;

- (d) specific tariff rate quota may be allocated to countries with substantial interest, considering the proportion of the share of imports of the article concerned into the country during a representative period, and having regard to all relevant factors which may have or are likely to affect the trade in the article;
- (e) in a case where the tariff rate quota is country specific, a residual tariff rate quota shall be provided for all other countries and in case the countries with specific tariff rate quota exhaust their specific tariff rate quotas, such countries may use the residual tariff rate quota available;
- (f) any unused tariff rate quota may be carried forward and added to the tariff rate quota for the subsequent period.”;
- (ii) in sub-rule (3), -
- (a) for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted;
- (b) in the proviso, the word “positive” shall be omitted.
11. In the said rules, in rule 12, for the word “duty”, wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted.
12. In the said rules, in rule 13,-
- (i) for the word “duty”, occurring at both the places, the word “measure” shall be substituted;
- (ii) a proviso shall be inserted, namely:-
- “provided that no such measure shall be applied on an article originating from a developing country so long as the share of imports of that article from that country does not exceed three per. cent or where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from each of such developing countries with less than three per. cent import share taken together, does not exceed nine per. cent of the total import of that article in India”.
13. In the said rules, in rule 14, for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted.
14. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely –
- “15. Refund of duty.** - If the safeguard measure imposed as a duty after the conclusion of the investigation is lower than the provisional measure in the form of a duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.”.
15. In the said rules, in rule 16, -
- (i) for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (1), the word “positive” shall be omitted.
16. In the said rules, in rule 17, for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted.
17. In the said rules, in rule 18, -
- (i) for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (1), in clause (i), the word “positively” shall be omitted;
- (iii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely-
- “(1A) The Director General may review the usage and implementation of the tariff rate quota for any modification.”;
- (iv) in sub-rule (2), after the words, brackets and figures “sub-rule (1)”, the words, brackets and figures “or sub-rule (1A)” shall be inserted.
18. In the said rules, after rule 18, the following rule shall be inserted, namely: -

“19. **Notification and consultation.** – (1) The Central Government shall notify to the WTO of all actions required under the WTO Agreement on Safeguards.

(2) Before imposition of a safeguard measure, an opportunity to hold consultations with the members of the WTO having substantial interest as exporters of the product concerned, shall be provided”.

19. In the said rules, the ANNEXURE shall be omitted.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules was published *vide* notification number 35/1997-Customs (N.T), dated the 29th July, 1997, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 428(E), dated the 29th July, 1997.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 05/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 78(अ).**—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7228 के अंतर्गत 'मिश्रित स्टील की स्ट्रेट लैथ बार एंड रोड्स' (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/10/2017-डीजीएडी तारीख 5 सितंबर, 2018 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 5 सितंबर, 2018 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:--

“परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 54/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।